AISEVAK.IN · नि:शुल्क गाइड

Import Licence & Registration

Pharma, Chemicals & Life Sciences

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग · तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

दवा या सामग्री के आयात के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से पंजीकरण प्रमाणपत्र और आयात लाइसेंस चाहिए।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल पंजीकरण प्रमाणपत्र, आयात लाइसेंस और भारतीय अधिकृत एजेंट व डोज़ियर की तैयारी कराता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

आवेदन से पहले निर्माण-स्थल विवरण, उत्पाद-डोज़ियर और थोक-लाइसेंसधारी भारतीय अधिकृत एजेंट जुटाने के लिए उपयोग करें।

यह किसे दिया जाता है

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO/DCGI); आयातित दवाओं हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र और आयात लाइसेंस चाहिए।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

निर्माण-स्थल विवरण, उत्पाद-डोज़ियर और थोक-लाइसेंसधारी भारतीय अधिकृत एजेंट के साथ सीडीएससीओ सुगम (SUGAM) पोर्टल पर दाखिल करें; निर्धारित शुल्क चुकाएँ।

शुल्क और खर्च

सीडीएससीओ (CDSCO) द्वारा निर्धारित पंजीकरण और आयात-लाइसेंस शुल्क, प्रति स्थल और प्रति उत्पाद।

इसकी जाँच किससे कराएँ

सीडीएससीओ (CDSCO)-अनुभवी नियामक-सलाहकार और आपका भारतीय अधिकृत एजेंट।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

यह मार्गदर्शन है ; सीडीएससीओ (CDSCO)-अनुभवी सलाहकार और अधिकृत एजेंट से पुष्टि कराएँ।

साथ के दस्तावेज़

- CDSCO Regulatory Primer
- Drug Manufacturing Licence Guide
- Product Permission / Registration
- Regulatory Dossier Structure
- Drug Labeling Compliance
- Regulatory Strategy Planner

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार

बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।